

(प्रपत्र संख्या-42-आई)

(अनुच्छेद 369-ज)

उपभोग प्रमाण पत्र

क्रम संख्या-01 शासनादेश संख्या- 416/XXIV(6)/2019-4(15)/2018 दिनांक-28.05.2019 ₹ 35,00000/- क्रम संख्या-02 शासनादेश संख्या- 818/XXIV(6)/2019-4(15)/2018 दिनांक-17.07.2019 ₹ 35,00000/-	प्रमाणित किया जाता है कि हाशिये में दिये गये शासनादेश के अधीन वित्तीय वर्ष 2019-2020 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत मानक मद-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता हेतु प्राविधानित धनराशि ₹ 70,00,000 के सापेक्ष स्वीकृत/अवमुक्त सहायता ₹ 70,00,000 (₹ सत्तर लाख मात्र) का उपभोग विश्वविद्यालय के अति आवश्यकीय अवचनबद्ध मदों किया गया है।
--	---


योग- ₹ 70,00,000/- (₹ सत्तर लाख मात्र)

1. जिसके लिये यह स्वीकृत किया गया था वर्ष के अवसान पर अप्रयुक्त शेष शून्य-₹0 है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि मुझे समाधान है कि शर्तें जिन पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था, को समयक रूप में पूरा किया गया है तथा कि निम्नलिखित चैकों को यह देखने के लिए मैंने यह प्रयोग किया है, धनराशि वास्तव में उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया था, जिसके लिए यह स्वीकृत था।


चैकों के प्रभार-


- 1- विश्वविद्यालय पी0एल0ए0 ई0चैक संख्या-PL 0700886408191001 दिनांक 13.08.19 ₹ 35,00,000 .00
 - 2- विश्वविद्यालय पी0एल0ए0 ई0चैक संख्या-PL 0700886410191002 दिनांक 15.10.19 ₹ 35,00,000 .00
- कुल धनराशि योग ₹ 70,00,000 .00

पी0एल0ए0 में अवशेष धनराशि- ₹ शून्य


01/07/2020
कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
उत्तराखण्ड मुक्ती विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रतिहस्ताक्षर


कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी-263139 (नैनीताल)


वित्त नियन्त्रक.
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी
Finance Controller
Uttarakhand Open University
Maldwani (Nainital)

(प्रपत्र संख्या-42-आई)
(अनुच्छेद 369-ज)
उपभोग प्रमाण पत्र

क्रम संख्या-01 पत्रसंख्या- 417/XXIV(6)/2019-4(14)/2018 दिनांक- 28.05.2019 ₹ 2,00,00,000/- क्रम संख्या-02 पत्रसंख्या- 819/XXIV(6)/2019-4(14)/2018 दिनांक- 17.09.2019 ₹ 2,00,00,000/-	प्रमाणित किया जाता है कि हाशिये में दिये गये शासनादेश के अधीन वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 मानक मद-43 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायता अनुदान हेतु प्राविधानित धनराशि ₹ 400.00 लाख के सापेक्ष स्वीकृत/अवमुक्त सहायता ₹ 400.00 लाख (₹ चार करोड़ मात्र) का उपभोग विश्वविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापक/सहा० प्राध्यापक एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के भुगतान हेतु उपयोग किया गया है।
--	--


योग- ₹ 4,00,00,000/- (चार करोड़ मात्र)

- जिसके लिये यह स्वीकृत किया गया था वर्ष के अवसान पर अप्रयुक्त शेष शून्य-रु० है।
- प्रमाणित किया जाता है कि मुझे समाधान है कि शर्तें जिन पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था, को सम्यक रूप में पूरा किया गया है तथा कि निम्नलिखित बैंकों को यह देखने के लिए मैंने यह प्रयोग किया है कि, धनराशि वास्तव में उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, जिसके लिए यह स्वीकृत था।


बैंकों के प्रभार-


1- पी०एल०ए० ई०बैंक संख्या- PL 0700886408191000	दिनांक 08.08.2019	₹ 2,00,00,000.00
2- पी०एल०ए० ई०बैंक संख्या- PL 0700886410191003	दिनांक 15.10.2019	₹ 2,00,00,000.00
कुल धनराशि योग-		₹ 4,00,00,000.00

पी०एल०ए० में अवशेष धनराशि - शून्य


 क.स.सिंह
 कला सचिव
 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
 हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रतिहस्ताक्षर


 क.स.सिंह
 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
 हल्द्वानी
 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
 हल्द्वानी-263139 (नैनीताल)


 वित्त नियंत्रक
 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Finance Controller
 Uttarakhand Open University
 Haldwani (Nainital)